रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10092024-257030 CG-DL-E-10092024-257030

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 1 PART III—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 10] No. 10] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 9, 2024/भाद्र 18, 1946 NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 9, 2024/BHADRA 18, 1946

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 9 सितम्बर. 2024

सं. 2024/ईएंडआर-1(3)/6.—एतद्वारा आम जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है कि परिचालनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने फिरोजपुर मंडल के अधिकार क्षेत्र को उत्तर रेलवे के अंबाला-लुधियाना खंड पर अंबाला मंडल की ओर 359/0 किमी से 358/0 किमी तक बढ़ाने का विनिश्चय किया है।

उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल और अंबाला मंडल के बीच संशोधित क्षेत्राधिकार सीमा अंबाला-लुधियाना खंड पर 358.00 किमी पर होगी।

उपरोक्त परिवर्तन तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

अरुणा नायर, सचिव

5777 GI/2024 (1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th September, 2024

No.2024/E&R/1(3)/6.—It is hereby notified for general information that keeping in view the operational requirements, Central Government has decided to extend the jurisdiction of Firozpur division from KM 359/0 to KM 358/0 towards Ambala division of NR on Ambala - Ludhiana section.

The revised jurisdictional boundary between Firozpur division and Ambala division of Northern Railway will be at KM 358.00 on Ambala - Ludhiana section.

The above change will come into force with immediate effect.

ARUNA NAYAR, Secy.